राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रुप–3, नरेगा)

क.एफ4(29)ग्रावि/नरेगा/निरी/पार्ट–2/09–10 जयपुर, दिनांक 20-1-11

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलेक्टर,
समस्त।

विषयः जिले मे निरीक्षण व्यवस्था को प्रभावी एवं व्यवस्थित करने बाबत–उपखण्ड अधिकारी के निरीक्षण के मासिक लक्ष्य।

प्रसंगः विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29.12.09

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक पत्र दिनांक 29.12.09 के द्वारा विभिन्न अधिकारियो द्वारा प्रतिमाह किये जाने वाले निरीक्षणो के कम मे आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये है। जारी निरीक्षण प्रपत्र मे उपखण्ड अधिकारी (ब्लॉक कार्डिनेटर) का नाम त्रुटिवश रह जाने के कारण उक्त आदेश के निरन्तर मे उपखण्ड अधिकारी (ब्लॉक कार्डिनेटर) द्वारा मासिक निरीक्षण हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते है :–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	माह में किये जाने वाले न्यूनतम निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षण रिपोर्ट जहां प्रस्तुत की जानी है	विशेष विवरण
1	उपखण्ड अधिकारी (ब्लॉक कार्डिनेटर) जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक	15 कार्य (एक ग्राम पंचायत में अधिकतम 3 कार्य)	जिला कार्यक्रम समन्व्यक, ईजीएस। प्रतिलिपि अति जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस को सूचनार्थ	प्रत्येक माह एक ग्राम पंचायत कार्यालय मे नरेगा की समस्त वर्क फाइल, सामग्री कय, नरेगा रोकड बही, सूचना प्रदर्शन, रिवोलविंग फण्ड एवं वित्तीय अनुशासन, नरेगा कायो के असेट कम कुमुलेटिव एक्सपेण्डीचर रजिस्टर का पाक्षिक अपडेशन एवं पंचायत कार्यालय के नियमित खुलने सम्बन्धी बिन्दुओं सहित विस्तृत निरीक्षण किया जावे। प्रत्येक तिमाही मे एक बार कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस के कार्यालय का उक्त बिन्दुओ पर निरीक्षण किया जावे।

निरीक्षण प्रपत्र की प्रतियां पूर्व मे संलग्न कर भिजवाई जा चुकी है। अन्य दिशा निर्देश यथावत रहेंगे।

भवदीय

(सी.एस.राजन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपी :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रा.वि एवं पंचायती राज विभाग।
2. जिला प्रभारी सचिव, समस्त।
3. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला परिषद समस्त।
4. समस्त परियोजना निदेशक, एवं उपसचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
5. प्रोग्रामर कार्यालय हाजा, को उक्त पत्र विभागीय वेबसाइट पर डालने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

परियोजना निदेशक, ईजीएस